राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 478/2003

मुकेश कुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल जी हीरागर, उम्र 21 वर्ष, निवासी कलापुरा, शिवगंज, जिला सिरोही, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य
2. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बंशीलाल जी, उम्र 39 वर्ष, निवासी छीपों का वास, थाना शिवगंज, जिला सिरोही।
3. श्री बंशीलाल पुत्र स्व. नरसिंहजी, उम्र 68 वर्ष, निवासी छीपों का वास, थाना शिवगंज, जिला सिरोही, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

---

| | | |
|---|---|---|
| अपीलार्थी(गण) के लिए | : | श्री चैतन्य गेहलोत,<br>सुश्री वंदना |
| प्रतिवादी(गण) के लिए | : | श्री एसके भाटी, पीपी<br>श्री एचएस बालोत<br>श्री प्रथ्वी राज सिंह बालोत |

---

**माननीय श्री न्यायमूर्ति योगेन्द्र कुमार पुरोहित**

**निर्णय**

**आदेश रिजर्व किया गया 08/05/2024**

**फैसला सुनाया गया 17/05/2024**

**रिपोर्ट करने योग्य**

1. निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी विद्वान विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, सिरोही के विशिष्ठ प्रकरण संख्या 98/2000 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2003 के द्वारा अभियुक्तगण सुरेश कुमार व बंशीलाल को धारा 323, 341 भारतीय दंड संहिता व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) में दोषमुक्त करार दिया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि मुस्तगीस–निगरानीकर्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र थानाधिकारी पुलिस थाना शिवगंज के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आज दिनांक 25.08.2000 को दिन के करीब 1 बजे मुस्तगीस साईकिल लेकर कानपुरा के लिये जा रहा था, तो छावनी चोराहे से थोड़ा आगे सामने से मोटरसाइकिल पर सुरेश कुमार तथा बंशीलाल आ रहे थे, मुस्तगीस को जाते देखकर सुरेश ने मोटरसाइकिल मुस्तगीस के आडे रोककर मुस्तगीस को रोका तथा सुरेश व बंशीलाल ने मुस्तगीस को मां–बाप व जाति की गालियां देते हुये कहा मादरचोद तरींगट सरगडे की औलाद तुम्हारी हिम्मत मरे खिलाफ गवाही देने की कैसे हो गई और बशींलाल ने मुस्तगीस का गला पकड़ा व दो लाते मारी तथा सुरेश ने मुस्तगीस को थापो मुक्कों से मारपीट कर नीचे गिरा दिया, तब तक रास्ता जाते हुये लोग शामिल हो गये तथा केसाराम गुरू व अशोक कुमार सोनी ने बीच–बचाव कर छुड़ाया वरना मुस्तगीस के साथ ज्यादा मारपीट करते। छुड़ाने तक दोनों मुस्तगीस को तरींगटा सरगडा व जाति से मां बाप तक की गालियां देते हुये मारपीट कर रहे थे व कह रहे थे कि कोर्ट में बयान देने आया तो हाथ पैर तोड़कर डाल देंगे। वगैरा–वगैरा रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 120/2000, अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में दर्ज कर तफतीश की गई, बाद तफतीश अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं में आरोप पत्र दिनांक 22.11.2000 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवगंज के समक्ष पेश किया गया। जहां से प्रकरण विचारण हेतु विशिष्ठ न्यायाधीश सिरोही को भेजा गया, जहां पर दिनांक 12.12.2000 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर हुआ।

03. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने अपराध से इनकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहान करवाकर साक्ष्य समाप्त घोषित की गई। अभियुक्तगण के धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान मुलजिम लिये गये। बचाव पक्ष में कोई साक्ष्य अभियुक्तगण की ओर से पेश नहीं की गई।

04. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर निर्णय दिनांक 22.04.2003 के द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त करार दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मुस्तगीस–निगरानीकर्ता की ओर से पेश की गई है।

05. मुस्तगीस की ओर से अपनी निगरानी में यह आधार लिया गया कि गवाह पी.डब्ल्यू.01 मुकेश कुमार द्वारा अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि गैर–निगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा उसका गला पकड़ लिया और दो लाते मारी और गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा साले सरगड़े तरींगटा साले नीच जाति के कहा गया तथा अभियुक्त सुरेश द्वारा भी मारपीट की गई और अभियुक्तगण द्वारा केवल मात्र अभियुक्तगण के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण में गवाही देने की वजह से मारपीट की गई। गवाह पी.डब्ल्यू.02 मोहम्मद यासीन द्वारा भी नक्शा मौका को साबित किया गया है और पी.डब्ल्यू.3

केसाराम द्वारा घटना की ताईद की गई और अपनी साक्ष्य में यह बताया कि दोनों मुलजिमान द्वारा मुस्तगीस के साथ मारपीट की गई और सरगड़े कमीने यह गालियां निकाली गई।

06. इस आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुये प्रकरण को विचारण न्यायालय में पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने और गवाहान की साक्ष्य का सही तरीके से विवेचन किये जाने के निर्देश दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

07. बहस निगरानी सुनी गई।

08. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में वर्णित तथ्यों को तर्कों के रूप में प्रस्तुत करते हुये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को निरस्त करने और मामला पुनः साक्ष्य का विवेचन कर निस्तारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

09. योग्य लोक अभियोजक व गैर–निगरानीकर्ता संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता द्वारा इसका सख्त विरोध करते हुये निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

10. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

11. यह प्रकरण दोषमुक्ति के विरुद्ध मुस्तगीस द्वारा की गई निगरानी से संबंधित है। दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील/निगरानी के संबंध में नवीनतम विधिक स्थिति पर विचार किया जा रहा है।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत Ballu @ Balram @ Bal mukund & Anr. Vs. State Of Madhya Pradesh, 2024 INSC 258 (Criminal Appeal No. 1167/2018) निर्णय दिनांक 02.04.2024 महत्वपूर्ण है। इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व के न्यायिक दृष्टांतों पर विचार कर पैरा संख्या 9, 10, 20 व 21 में विधिक स्थिति का निम्नानुसार विवेचन किया गया है : –

> **9. इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामला दोषमुक्ति के फैसले को पलटने का मामला है। अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के संबंध में कानून बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है। जब तक दोषमुक्ति का निष्कर्ष विकृत या असंभव नहीं पाया जाता, तब तक उसमें हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। हालाँकि, इस मुद्दे पर कई निर्णय हैं, हम केवल दो निर्णयों का उल्लेख करेंगे जिन्हें उच्च न्यायालय ने स्वयं विवादित निर्णय में पुनः प्रस्तुत किया है, जो नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:**
>
> > **"13. साधु सरन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 4 एससीसी 397 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि:-**
> >
> > **"जब बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा प्रबल होती**

है, तो अपीलीय न्यायालय बरी किए जाने के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब तथ्य और कानून में विकृति हो। हालांकि, हमारा मानना है कि न्यायालय का सर्वोपरि विचार पर्याप्त न्याय करना और न्याय की चूक से बचना है जो किसी अपराध के लिए दोषी अभियुक्त को बरी करने से उत्पन्न हो सकती है। दोषी को बरी किए जाने से न्याय की चूक किसी निर्दोष को दोषी ठहराए जाने से कम नहीं है। बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के दायरे के संबंध में सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए अपीलीय न्यायालय के पास बरी किए जाने के आदेश पर आधारित संपूर्ण साक्ष्य की समीक्षा करने और उसे फिर से देखने के लिए कानून में कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।"

14. इसी प्रकार, हरलजन भाला तेजा बनाम गुजरात राज्य (2016) 12 एससीसी 665 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि:-

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के मूल्यांकन करने पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, और ट्रायल कोर्ट ने बरी करने का दृष्टिकोण अपनाया है, अपीलीय न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी मामलों में जहां ट्रायल कोर्ट ने बरी करने का निर्णय दर्ज किया है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, भले ही दृष्टिकोण विपरीत हो। जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के प्रभाव के खिलाफ है, या विपरीत है, अपीलीय न्यायालय के लिए हमेशा यह रास्ता खुला है कि वह साक्ष्य की फिर से मूल्यांकन करने के बाद सही निष्कर्ष व्यक्त करे, यदि आरोप रिकॉर्ड पर उचित संदेह से परे साबित होता है, और अभियुक्त को दोषी ठहराता है।"

10. कानून के उपर्युक्त स्थापित सिद्धांतों के मद्देनजर, हमें वर्तमान मामले की जांच करनी होगी।

20. उच्च न्यायालय आपराधिक अपील में तभी हस्तक्षेप कर सकता था, जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता कि ट्रायल जज के निष्कर्ष या तो विकृत या असंभव थे। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, विद्वान ट्रायल जज द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई विकृति या असंभवता नहीं पाई जा सकती।

**21. किसी भी मामले में, भले ही दो दृष्टिकोण संभव हों और ट्रायल जज ने दूसरे दृष्टिकोण को अधिक संभावित पाया हो, तब भी उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप उचित नहीं होगा, जब तक कि विद्वान ट्रायल जज द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विकृत या असंभव दृष्टिकोण न हो।**

13. पूर्व में वर्णित विधिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की Finding perverse or impossible हो उस अवस्था में ही दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सकता है अथवा नहीं, इस आधार पर की साक्ष्य के विवेचन में दो मत हो सकते हैं, तो भी जब तक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का मत perverse or impossible मत न हो, हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

14. उक्त विधिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुये हस्तगत मामले पर विचार किया गया।

15. हस्तगत मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों, धारा 161 सीआर.पी.सी. में दिये गये बयानों से मुस्तगीस पी.डब्ल्यू.01 मुकेश कुमार के बयानों में विरोधाभाष व न्यायालय में दी गई साक्ष्य से साक्ष्य संदेहास्पद होना तथा गवाह पी.डब्ल्यू.03 केसाराम की साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं होना मानते हुये और खेमचंद जिसके साथ अभियुक्तगण का प्लॉट के संबंध में विवाद था, उस विवाद में खेमचंद के यहां गवाह पी.डब्ल्यू.01 मुकेश का कार्य करने और पी. डब्ल्यू.3 केसाराम का लड़का सकाराम शिवगंज में गौशाला में काम करने और खेमचंद उस गौशाला का उपाध्यक्ष होने से खेमचंद के कहने से साक्ष्य दिया जाना माना गया है और अभियोजन की कहानी संदेहास्पद मानी है।

16. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में यह माना है कि अभियुक्तगण से कोई व्यक्तिगत या जाति झगड़ा पी.डब्ल्यू.1 मुस्तगीस मुकेश का नहीं था। अपनी साक्ष्य में बतौर गवाह पी.डब्ल्यू.1 में मुकेश द्वारा यह साक्ष्य दी गई कि मोटरसाइकिल शिवगंज की ओर से पीछे की ओर से आ रही थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 तथा अनुसंधान के दौरान अभियोगी के कथनों प्रदर्श डी–1 में यह अंकित किया है कि अभियुक्तगण सामने से मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। अभियुक्त सुरेश कुमार का अहमदाबाद में व्यापार कर रहे होना और दिन के करीब 12.30–1 बजे मुकेश वहां से निकले तथा अकेला निकले, इसकी जानकारी पहले से अभियुक्तगण को होना मानने का कोई कारण नहीं होना अंकित किया गया है। आकस्मिक तौर से अभियुक्तगण मिल जाये, यह काफी अधिक संयोग है, जो शंका उत्पन्न करता है। विशेष तौर पर इसलिए भी क्योंकि कोई भी दिखती हुई चोट नहीं आई है। अभियोगी ने साइकिल घटनास्थल पर ही पड़े हुये होना बताया, परन्तु घटनास्थल पर साइकिल होना घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 में अंकित नहीं है।

17. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 टाईपशुदा है, जो कथित घटना के डेढ़–दो घंटे में प्रस्तुत

कर दी गई, जिसके पहले अभियोगी ने अपने माता–पिता और भाई को कहा, जिनके कहने पर रिपोर्ट देना बताया है, परन्तु उनमें से कोई भी अभियोगी के साथ में नहीं गया, इन सब स्थिति को इसके साथ में देखा जाना है कि चिकित्सक साक्ष्य के अनुसार दिखती हुई कोई चोट या चोट का निशान नहीं था तथा अभियोगी के अनुसार उसका अभियुक्तगण से पूर्व का कोई विवाद नहीं था, अलावा इसके कि उसने खेमचंद की तरफ से साक्ष्य दी थी।

18. इस मामले में गवाह पी.डब्ल्यू.1 मुकेश ने यह कहा कि केसाराम और अशोक कुमार आये जब वह जमीन पर गिरा हुआ था तथा साइकिल पास में पड़ी हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट और अभियोगी के कथनानुसार उसके कम से कम दो लाते मारी गई और दो–तीन थप्पड़, मुक्के भी निश्चित तौर पर मारे गये। प्रदर्श पी–1 के अनुसार बंशीलाल ने गला पकड़ा व दो लाते मारी तथा सुरेश ने थाप, मुक्कों से मारपीट करके नीचे गिरा दिया। इस सूचना पर आरक्षी केन्द्र के पृष्ठांकन के अनुसार पूछने पर बताया कि बंशीलाल ने गला व कॉलर पकड़ा था, सुरेश ने पेट व पैर पर लाते मारी तथा बंशीलाल ने दो–तीन थप्पड़ मारे। गवाह पी.डब्ल्यू. 5 राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सक की साक्ष्य के मुताबिक शरीर पर कोई दिखती हुई चोटें नहीं थी, केवल पेट, दाहिनी जांघ व बांये गाल पर दर्द होना बताया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 के मुताबिक शरीर के किसी अंग पर किसी तरह की कोई चोट लगने का निशान नहीं था। दो व्यक्ति मारे इरादतन मारे तथा उपरोक्तानुसार अन्य स्थिति में विवाद था, तो यह कुछ आश्चर्यजनक हो सकता है कि कोई दिखती हुई चोट नहीं है। गवाह पी. डब्ल्यू.3 केसाराम ने यह स्वीकार किया कि झगड़ा क्यों हुआ और किसने शुरू किया, यह उसे पता नहीं, किसने मुस्तगीस मुकेश के कहां मारी, यह भी उसे पता नहीं। इस गवाह ने थप्पड़ मारना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू.4 अशोक कुमार इस मामले में अभियोजन द्वारा विपरीत घोषित हुआ है। इस प्रकार मुस्तगीस के अतिरिक्त एक मात्र गवाह पी.डब्ल्यू.3 केसाराम है, जो पूर्व में वर्णितानुसार खेमचंद के पक्ष में अर्थात् अभियोगी के पक्ष में हितबद्ध होने के आधार पर हो सकते हैं। इस प्रकार इस मामले में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोजन की कहानी प्रमाणित नहीं होना मानकर अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया गया।

19. इस न्यायालय द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय perverse है या नहीं व निर्णय में जो आधार अंकित किये गये हैं, वह impossible हैं या नहीं, इस पर विचार किया गया।

20. प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सामने से मोटरसाइकिल पर अभियुक्तगण का आना अंकित है, पुलिस बयान मुस्तगीस मुकेश कुमार प्रदर्श डी–1 में भी सामने से मोटरसाइकिल पर आने का अंकन है, जबकि न्यायालय में गवाह पी.डब्ल्यू.1 मुकेश कुमार द्वारा अपनी जिरह के अंतिम लाईनों में यह बताया हैं कि मुलजिमान साक्षी के सामने से नहीं आ रहे थे, बल्कि साक्षी के पीछे शिवगंज की तरफ से आ रहे थे। प्रदर्श

पी–1 में लिखा है कि अभियुक्तगण सामने से आ रहे थे, जो गलत है। बयान प्रदर्श डी–1 में भी सामने से आना लिखा है, जो गलत है।

21. प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखित दरख्वास्त प्रदर्श पी–1 व चॉकशुदा प्रदर्श पी–6 में ''मां–बाप व जाति की गालियां देते हुये कहा मादरचोद तरींगट सरगड़े की औलाद'' अंकित किया है और न्यायालय में गवाह पी.डब्ल्यू.1 मुकेश कुमार द्वारा अपने सशपथ बयान में यह लिखाया है कि ''साले सरगडे, तरींगटे साले नीच जाति के'' और गवाह पी.डब्ल्यू.3 केसाराम ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि ''सरगडा, कमीना आदि गालियां दी''।

22. इस प्रकार से गालियां किस तरीके से निकाली गई, उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट व गवाह पी.डब्ल्यू.1 व पी.डब्ल्यू.3 की साक्ष्य में हुबहु नहीं बताया गया, बल्कि अलग–अलग कथन अंकित किये गये हैं।

23. प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखित दरख्वास्त प्रदर्श पी–1 में यह अंकित है कि ''बंशीलाल ने मरे । गला पकड़ा व दो लातें मारी तथा सुरेश ने मुझे थापों मुक्कों से मारपीट कर नीचे गिरा दिया'' इस रिपोर्ट में कार्यवाही पुलिस में यह अंकित किया गया है कि कोई जाहिरा चोट नहीं है। अपने सथपथ बयान में गवाह पी.डब्ल्यू.1 मुकेश कुमार द्वारा यह साक्ष्य दी गई है कि ''बंशीलाल ने गले से पकड़ा और दो लाते मारी और सुरेश ने तीन थप्पड़े व मुक्के मारे, मैं नीचे गिर गया''।

24. गवाह पी.डब्ल्यू.1 मुकेश कुमार द्वारा अपनी जिरह में यह कहा है कि सुनसान जगह में अकेला देखकर साक्षी के साथ झगड़ा किया। यह बात सही है कि केसाराम व अशोक कुमार दोनों साथ–साथ घटनास्थल पर आये थे। साक्षी घबरा गया था, इसलिए साक्षी को ध्यान नहीं कि अशोक कुमार व केसाराम किस तरफ से आये थे। केसाराम व अशोक कुमार आये थे, तब साक्षी जमीन पर गिरा हुआ था। जिरह में यह नहीं कहा कि जब अशोक कुमार व केसाराम आये, उस समय भी मुलजिमान उसके साथ मारपीट कर रहे हो, बल्कि यह कहा कि अशोक कुमार व केसाराम आये तब मुलजिमान पास में खड़े हुये गालियां दे रहे थे। मुलजिमान साक्षी से 4–5 फिट की दूरी पर खड़े होकर गालियां दे रहे थे, जबकि इस मामले में गवाह पी.डब्ल्यू.4 अशोक कुमार पक्षद्रोही घोषित हुआ है और यह कहा है कि साक्षी के सामने मुलजिमान सुरेश तथा बंशीलाल ने मुस्तगीस मकेश कुमार के साथ मारपीट नहीं की तथा गालियां नहीं दी, जबकि गवाह पी.डब्ल्यू.3 केसाराम स्वयं के सामने मुकेश कुमार को सुरेश व बंशीलाल द्वारा पकड़ना और मुकेश कुमार के थप्पड़ मारना भी बताया है, जबकि स्वयं पी.डब्ल्यू.1 मुकेश की साक्ष्य के मुताबिक जब मारपीट होने के उपरांत वह गिर गया, उसके पश्चात् केसाराम मौके पर आया। ऐसी अवस्था में केसाराम के सामने मारपीट करने का कथन गवाह पी.डब्ल्यू.1 मुकेश ही नहीं करता है, उस अवस्था में केसाराम द्वारा मारपीट करते हुये देखने का जो कथन किया गया है, वह संदेहास्पद है।

25. गवाह पी.डब्ल्यू.1 मुकेश कुमार द्वारा अपनी जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि मुलजिम सुरेश अहमदाबाद में व्यापार करता है। साक्षी को यह ध्यान नहीं कि अहमदाबाद में मुलजिम सुरेश कुमार साक्षी के सेठ खेमचंद व खेमचंद के भाई धनराज का शामिल व्यापार था। इस गवाह ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि खेमचंद के वहां 6–7 साल से नौकरी कर रहा है। खेमचंद ने मुलजिमान से दुकान खरीदी, जिस संबंध में बातचीत हुई, उसी दिन से साक्षी अभियुक्त सुरेश को जानता है। खेमचंद की तरफ से मुलजिमान के खिलाफ 420 के मुकदमें में साक्षी ने गवाही दी थी। साक्षी के साथ खेमचंद की दुकान पर बंशीलाल ने मारपीट की, जिसका मुकदमा साक्षी ने बंशीलाल पर किया था। जिरह में यह स्वीकार किया कि साक्षी द्वारा खेमचंद द्वारा किये गये मुकदमें में मुलजिमान के विरुद्ध गवाही दी थी, उस बात की रंजिश को लेकर ही यह झगड़ा हुआ था और कोई रंजिश नहीं थी। साक्षी का व्यक्तिगत मुलजिमान से कोई जाति, झगड़ा नहीं था। जिरह में दिये गये सुझाव पर गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया कि मुलजिमान के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो।

26. गवाह पी.डब्ल्यू.1 मुकेश कुमार की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह गवाह खेमचंद के यहां नौकरी करता था और खेमचंद का झगड़ा मुलजिमान के साथ था। पी.डब्ल्यू.3 केसाराम द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि साक्षी का लड़का सकाराम शिवगंज में गौशाला में काम करता है, खेमचंद जी इस गौशाला के उपाध्यक्ष है। किस मुलजिम ने मुकेश के कहां चोट मारी, यह साक्षी को नहीं पता। इस तथ्य को गलत बताया है कि खेमचंद के कहने से आज बयान झूठे दिये हो। पी.डब्ल्यू.6 रामजीवन गुप्ता अनुसंधान अधिकारी को भी प्रश्न करने पर गवाह द्वारा जिरह में स्वीकार किया कि पूर्व में खेमचंद व मुलजिमान के मुकदमें थे, जिसमें मुस्तगीस की गवाही व गवाही क्यों दी, इस तरह के विवाद से यह घटना हुई। इस गवाह ने यह कहा है कि तफ्तीश से यह नहीं आया है कि खेमचंद ने परिवादी मुकेश के मार्फत मुलजिमान के विरुद्ध दो–तीन मुकदमें करवाये हो।

27. अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान मुलजिम में भी खेमचंद के द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवाये जाने का बचाव लिया गया है।

28. इस मामले में पी.डब्ल्यू.1 मुकेश से की गई जिरह के मुताबिक यह स्वीकार किया है कि जहां पर झगड़ा हुआ, वहां से पुलिस थाना शिवगंज पास में ही है, पैदल दो मिनट में पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट पेश करने के लिए साक्षी अकेला थाने पर गया था। रिपोर्ट पेश करने दोपहर करीब 3 बजे गया था। रिपोर्ट साक्षी ने लिखी नहीं थी, बल्कि टाईप करवाई थी। झगड़ा खत्म होते ही साक्षी सीधा घर गया तथा साक्षी ने अपने भाई व माता को बताया कि ऐसी बात हुई है, तब भाई रतनलाल व माता ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज करवा दो, तब साक्षी ने रिपोर्ट टाईप करवाई तथा दर्ज करवाई। इस मामले में स्वीकृत रूप से आहत मुकेश के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। दो व्यक्तियों द्वारा थाप, मुक्कों व लात से मारपीट की जाये और उस मारपीट में कोई

व्यक्ति गिर जाये, उस अवस्था में शरीर के किसी भी भाग पर कोई जाहिरा चोट आना स्वाभाविक है, परन्तु इस मामले में किसी प्रकार की जाहिरा चोट नहीं होने से ही अभियोजन की कहानी संदेहास्पद हो जाती है। उसके अलावा जब घटनास्थल से थाना पैदल–पैदल दो मिनट की दरी पर है, उस अवस्था में भी घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने न जाकर पहले अपने घर जाना और घरवालों के कहने पर सीधे थाने न जाकर पहले रिपोर्ट टाईप करवाना, तत्पश्चात् लिखित रिपोर्ट लेकर थाने जाना भी स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। यह आचरण भी अभियोजन की कहानी को संदेहास्पद बनाता है।

29. अभियुक्तगण द्वारा क्या गाली निकाली, इस संबंध में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट, पी.डब्ल्यू.1 मुकेश कुमार की साक्ष्य, पुलिस बयान प्रदर्श डी–2 एवं पी.डब्ल्यू.2 व पी.डब्ल्यू.3 की साक्ष्य में विरोधाभाष है, यह तथ्य भी अभियोजन की कहानी में संदेह पैदा करते हैं।

30. इस मामले में स्वीकृत रूप से खेमचंद के यहां पी.डब्ल्यू.1 मुकेश 6–7 वर्षों से कार्य कर रहा है और पी.डब्ल्यू.3 केसाराम का पुत्र गौशाला शिवगंज में काम करता है, जहां का खेमचंद उपाध्यक्ष है और खेमचंद का दुकान खरीद के संबंध में सुरेश के साथ विवाद है और खेमचंद की दुकान पर बंशीलाल द्वारा पूर्व में पी.डब्ल्यू.1 मुकेश के साथ मारपीट करने का भी मुकदमा पी.डब्ल्यू.1 मुकेश द्वारा दर्ज करवाया हुआ है। ऐसी स्थिति में खेमचंद के कहने से ही मुकदमा पी.डब्ल्यू.1 मुकेश द्वारा दर्ज करवाये जाने का संदेह उत्पन्न होता है।

31. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रथम सूचना रिपोर्ट, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र और गवाहान की साक्ष्य व चिकित्सक की साक्ष्य का विस्तृत विवेचन करते हुये अभियोजन की कहानी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होना मानने का जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह निष्कर्ष perverse or impossible नहीं है। ऐसी अवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम न्यायिक दृष्टांत Ballu @ Balram @ Balmukund & Anr. (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिपेक्ष्य में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

32. अतः निगरानीकर्ता मुकेश कुमार की ओर से प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

**(अरुण मोंगा),जे**

**यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।**

**अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त**

निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।